





मंत्रालय के अनुसार मैला ढोने के काम में लगे रहने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि वर्ष 2019-22 के दौरान खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दुर्घटनाओं के कारण 188 लोगों की मौत हो गई है।

01



हाथ से मैला ढोना क्या है ?

- ''हाथ से मैला ढोने वाले'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो मलमूत्र के पूरी तरह से विघटित होने से पहले हाथों द्वारा या सिर पर ढोने के माध्यम से सफाई करता है। हाथ से मैला ढोने वालों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है-
 - **वर्ष 2013 में,** हाथ से मैला ढोने वालों की परिभाषा को भी विस्तारित रूप प्रदान किया गया ताकि सेप्टिक टैंक, नालियों या रेलवे पटरियों को साफ करने वाले लोगों को शामिल किया जा सके।
- हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत भारत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है,जो इस प्रकार है-
 - यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा मल को हस्त प्रचालित सफाई करने, ढोकर ले जाने, निपटाने या किसी भी तरीके से
 निपटारा करने पर प्रतिबंध लगाता है।
 - अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "अमानवीय कार्य" के रूप में मान्यता देता है।



मारत में मैला ढोना अभी भी प्रचलित क्यों है ?

1 अधिनियम के प्रवर्तन में कमी : भारत में अभी भी इस प्रथा के प्रचलित होने के कारण अधिनियम के प्रवर्तन की कमी और अकुशल श्रमिको के साथ ही साथ औपनिवेशक मानसिकता के कारण लोगों का शोषण शामिल हैं।

02 सामाजिक कारण : जाति आधारित भेदभाव, गरीबी और कौशल की कमी भी इस प्रथा के प्रचलित होने के मुख्य कारण हैं।

03 अनिच्छा: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय हमेशा इस प्रचलित कार्य को, कार्य के रूप में स्वीकार करने में अनिच्छुक रहे हैं और वास्तविक डेटा को छुपा देते हैं।

4 दंडात्मक प्रावधानों का अभाव : दंड के प्रावधान कमजोर हैं और हाथ से
मैला उठाने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने के आरोपी लोगों और संगठनों के खिलाफ
गंभीर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

बजट की कमी: वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पुनर्वास योजना के लिए धन आवंटन का आभाव है और वित्त वर्ष 2022-23 में, मैला ढोने वालों के पुनर्वास योजना (Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers-SRMS) के लिए केवल 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।



विधायी प्रावधान

- 😕 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989
 - यह अधिनियम मैला ढोने वालों को शोषण से बचाता है।
- 🗲 अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम, 2013
 - **इस अधिनियम के तहत अस्वच्छ** शौचालयों के निर्माण या रखरखाव और उनके साथ-साथ हाथ से सफाई करनें, सीवर या सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई प्रणाली को गैर-कानूनी बनाया गया है।
- हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 (प्रस्तावित)
 - 🔾 यह हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन करने वाला विधेयक होगा।
- उच्चतम न्यायालय का कदम
 - **उच्चतम न्यायालय के आदेश 2014** से सरकार वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मरने वाले सभी लोगों की पहचान करना और प्रत्येक के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये प्रदान करना अनिवार्य कर दिया।

हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध सरकार की पहल

- मैला ढोने वालों का पुनर्वास:
- O नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन (National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation)
- O सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती:
- 🔿 'स्वच्छता अभियान' ऐप :
- मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NationalAction Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem-NAMASTE)

निष्कर्ष

- 21 वीं सदी के नए भारत में हाथ से मैला ढोने की व्यवस्था जाति वर्चस्व का एक घृणित संकेत है और इसकी अस्वीकारिता अत्यंत निंदनीय है।
 - 🔿 हमें शीघ्रता और अतिआवश्यक सुधार प्रक्रिया का भाव दिखाना चाहिए।
 - लोगों को समानता, श्रम की गरिमा और न्याय ने बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है।







Why is Manual Scavenging Still Prevalent in India?

Lack of enforcement of the Act: The lack of enforcement of the Act and exploitation of unskilled labourers are the reasons why the practice is still prevalent in India.

Social reasons: Caste-based discrimination, poverty and lack of skills are also the main reasons why this practice prevails.

Reluctance: Centre, states and local bodies have always been reluctant on accepting the practice to prevail and hidden the real data.

Lack of penal provisions: Provisions for punishment are weak and there have been negligible serious legal proceedings against people and organisations accused of engaging workers for manual scavenging.

Lack of Budget: The FY 2023-24 Union Budget showed no allocation for the rehabilitation scheme and in FY 2022-23, only Rs. 70 crore was allocated for the Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS).



Legislative Provisions

- SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989:
 - This Act protects manual scavengers against exploitation.
- The Building and Maintenance of Insanitary Latrines Act of 2013:
 - O It outlaws construction or maintenance of unsanitary toilets, and the hiring of anybody for their manual scavenging, as well as of hazardous cleaning of sewers and septic tanks.
- The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2020-(Proposed)
 - O It will be an amendment to the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.
- Supreme Court's Take:
 - O In 2014, a Supreme Court order made it mandatory for the government to identify all those who died in sewage work since 1993 and provide Rs. 10 lakh each as compensation to their families.

Government Initiatives Against Manual Scavenging

- O Rehabilitation of Manual Scavengers
- O The National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC)
- O Safaimitra Suraksha Challenge
- O 'Swachhta Abhiyan' App
- National Action Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)

Conclusion

- O In the 21st century, manual scavenging in new India sounds an abhorrent alarm about caste domination and the failure to acknowledge it is deplorable.
 - O We must show hurry and a sense of urgency.
 - O Equality, the dignity of labour, and justice have waited for too long

